रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266574
CG-DL-E-01102025-266574

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947
No. 653]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/102-सी/2015/डीडी/73/आईएनएफ/2016/डीसी/660/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने **सीए. जनककुमार शांतिलाल सोनी (सदस्यता संख्या 110003), 106, हाश कॉम्प्लेक्स, एलिसब्रिज पुलिस लाइन के पास, नागारी अस्पताल और लॉं गार्डन के पास, अहमदाबाद (गुजरात) 380006,** को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् **सीए. जनककुमार शांतिलाल सोनी (सदस्यता संख्या 110003)** के नाम को तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. जनककुमार शांतिलाल सोनी (सदस्यता संख्या 110003) का नाम 24 मार्च, 2023 से (03) तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था** । समिति के इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22छ के निबंधनानुसार एक अपील फाइल की थी और अपीलीय प्राधिकरण ने अपील सं. 28/ICAI/2021

में तारीख 6 सितंबर, 2025 के अपने आदेश (18 सितंबर, 2025 के ईमेल द्वारा प्राप्त) के द्वारा दंड की अवधि को उपांतरित किया था और उसे घटाकर अपीलार्थी द्वारा पहले से भोग ली गई दंड की अवधि तक कर दिया था और साथ ही यह भी आदेश दिया था कि अपीलार्थी के नाम को आदेश प्राप्त होने की तारीख से सदस्यों के रजिस्टर में सम्मिलित किया जाए। तदनुसार, अपीलीय प्राधिकरण के उक्त आदेश के अनुसरण में तारीख 24 मार्च, 2023 की अधिसूचना, जिसके द्वारा **सीए. जनककुमार शांतिलाल सोनी (सदस्यता संख्या 110003) का नाम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था, इस हद तक संशोधित किया जाता है कि उनका नाम 18, सितंबर, 2025 तक ही सदस्यों के रजिस्टर से हटाया गया है।**

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./387/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

New Delhi, the 30th September, 2025

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/102-C/2015/DD/73/INF/2016/DC/660/2017: In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Janakkumar Shantilal Soni(Membership No. 110003), 106, Haash Complex, Near Ellisbridge Police Line, Near Nagari Hospital and Law Garden, AHMEDABAD(Gujarat) 380006,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Janakkumar Shantilal Soni(Membership No. 110003)** from the Register of Members for a period of 03(Three) years. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the name of said **CA. Janakkumar Shantilal Soni(Membership No. 110003) was removed from the Register of Members for a period of 03(Three) years with effect from 24th March, 2023**. Aggrieved by the Order of the Committee, the Respondent preferred Appeal in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority in appeal number 28/ICAI/2021 vide its Order dated 6th September, 2025 (received vide email dated 18th September, 2025) had modified the quantum of punishment to the period already undergone by the Appellant and also ordered for restoration of name of the Appellant in the Register of Members from the date of receipt of the Order. Accordingly, in pursuance of the said Order of the Appellate Authority, the notification dated 24th March, 2023 wherein the name of **CA. Janakkumar Shantilal Soni(Membership No. 110003) was removed for a period of 03(Three) years is hereby modified to the extent that his name stands removed till 18th September, 2025 only.**

[CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA SECY.

[ADVT.-III/4/Exty./387/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.10.01 03:30:57 +05'30'